



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1706]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2012/भाद्र 15, 1934

No. 1706]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2012/BHADRA 15, 1934

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2012

का.आ. 2041(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बोर्ड के परामर्श पर और इस बात के लिए तुष्ट हो जाने पर कि पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है, निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्द्वारा एक समिति गठन करती है नामशः-

1	विशेष सचिव/ अपर सचिव पशु कल्याण प्रभारी, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष/ सदस्य
2	संयुक्त सचिव (पशु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष/ सदस्य
3	डा. ए.जे.राव, प्रो. राजारमन्ना फेलो डीएसटी भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलौर-560 012	सदस्य
4	डा. संगीता शर्मा सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) नई दिल्ली	सदस्य
5	डा. डी. स्वरूप, निदेशक सैंट्रल इन्स्टिट्यूट फार रिसर्च आन गोद्स (सीआईआरजी) मखदूम, फराह, मथुरा उत्तर प्रदेश, भारत -281122	सदस्य

6	डा. के नाचीमुत्थु, पूर्व-अनुसंधान निदेशक, तमिलनाडु पशु-चिकित्सा और प्राणी विज्ञान विश्वविद्यालय, (टीएनयूवीएस), नं.4, धामोदरा स्ट्रीट, पंचवड़ी, चेटपेट, चैन्नई-600 031	सदस्य
7	डा. कोडावल्ला वैकैया, अध्यक्ष और अपर निदेशक, जीव-सांख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	सदस्य
8	प्रो. पी.बी.शेषगिरी, डिपार्टमेंट ऑफ मोलीकूलर रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड जेनेटिक्स, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलौर-560012	सदस्य
9	डा.शशी मोतीलाल, प्रोफेसर (दर्शनशास्त्र), दिल्ली विश्वविद्यालय, 15, तक्षशिला अपार्टमेंट्स, आईआईटी/दिल्ली, हौजखास, नई दिल्ली	सदस्य
10	डा.एस चिन्नी कृष्णा, 398, टीटीके रोड, चैन्नई-600	सदस्य
11	सुश्री नोरमा अल्वरेज, पीपल फॉर एनिमल गोवा, जी-8, सेंट ब्रिट्टो अपार्टमेंट फेरा अल्टा, मापुसा गोवा-403507	सदस्य
12	डा.शीरानी परेरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सैंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ ब्रेकिश वाटर एक्वा क्लचर, 75, सेंथोम हाई रोड, आर.ए.पुरम, चैन्नई- 600028	सदस्य
13	डा.सुबीर एस.मजूमदार स्टाफ वैज्ञानिक VI नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्म्यूनोलॉजी अरूणा असफ अली मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
14	प्रो. (डा.) बी. सुरेश, अध्यक्ष, फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) एवं उप-कुलाधिपति, जे.एस.एस.यूनिवर्सिटी श्री शिवरीथरेश्वर नगर, मैसूर-570015 (कर्नाटक)	सदस्य
15	भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) से प्रतिनिधि	सदस्य
16	अध्यक्ष, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), चैन्नई	सदस्य
17	निदेशक, राष्ट्रीय इंस्टिट्यूट पशु कल्याण संस्थान(एनआईएडब्ल्यू), बल्लभगढ़	सदस्य
18	निदेशक (पशु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

2. केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जीव जन्तु कल्याण के प्रभारी, अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं सदस्य को उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसार समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामित करती है।
3. संयुक्त सचिव (जीव जन्तु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सदस्य इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे।
4. समिति का कार्यकाल, इससे पहले भंग न होने पर, इसके गठन की तारीख से 3 वर्ष का होगा।
5. दिनांक 10 जनवरी, 2003 की गजट अधिसूचना का.आ.32 (अ) और इसके बाद दिनांक 26.5.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 599(अ); दिनांक 21.08.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 955 (अ); 15.01.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 69(अ); 25.01.2005 की अधिसूचना सं. का.आ.85(अ); 17.10.2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1491(अ); 21.6.2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 933(अ); 19.10.2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1817(अ); 7.6.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1328(अ) और 10.11.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2778(अ) के तहत संशोधन अधिसूचनाओं के पहले गठित की गई समिति यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से भंग हो गई है।

[फा. सं. 25/34/2010-एडब्ल्यूडी (पार्ट)]

अंजलि कुमार, निदेशक (एडब्ल्यू)

टिप्पणी: पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति का गठन करने हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 10.1.2003 की पहली अधिसूचना संख्या का.आ. 32 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 26.5.2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 599(अ); दिनांक 21.8.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 955 (अ); 15.1.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 69 (अ); 25.1.2005 की अधिसूचना सं.का.आ. 85(अ); 17.10.2005 की अधिसूचना सं.का.आ. 1491 (अ); 21.6.2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 933 (अ); 19.10.2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1817 (अ); 7.6.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1328 (अ) और 10.11.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2778 (अ) के तहत संशोधित अधिसूचनाओं के द्वारा उसका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2012

S.O. 2041(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, on the advice of the Board, and being satisfied that it is necessary for the purpose of controlling and supervising experiments on animals, hereby constitutes a Committee consisting of following persons as its members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

1.	Special Secretary / Additional Secretary, Incharge of Animal Welfare, Government of India, Ministry of Environment and Forests, New Delhi.	Chairperson / Member
2.	Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment and Forests, New Delhi.	Vice Chairperson / Member
3.	Dr. A.J. Rao Prof. Rajarammanna Fellow DST, Indian Institute of Science Bangalore-560 012	Member
4.	Dr. Sangeeta Sharma Secretary, Medical Council of India (MCI), New Delhi.	Member
5.	Dr. D. Swarup, Director, Central Institute for Research on Goats (CIRG), Makhdoom, Farah, Mathura, UP, India 281122.	Member
6.	Dr. K. Nachimuthu, Ex-Director of Research, Tamilnadu Veterinary and Animal Sciences University (TANUVAS), No.4, Dhamodara Street, Panchvadi, Chetpet, Chennai-600 031.	Member
7.	Dr. Kondavalla Venkaiah, Head & Addl. Director, Bio-Statistics Department, National Institute of Nutrition, Hyderabad.	Member
8.	Prof P.B.Seshagiri, Department of Molecular Reproduction, Development & Genetics, Indian Institute of Science, 560012, Bangalore.	Member
9.	Dr. Shashi Motilal, Professor (Philosophy), University of Delhi, 15, Taxila Apartment, IIT/Delhi, Hauz Khas, New Delhi	Member
10.	Dr. S. Chinny Krishna, 398, TTK Road, Chennai - 600	Member

11.	Ms. Norma Alvarez, People for Animal Goa, G-8, St. Britto's Apts. Ferra Alta, Mapusa Goa-403507	Member
12.	Dr. Shiranee Pereira, Senior Scientist, Central Institute of Brackish Water Aqua Culture, 75, Santhome High Road, R.A. Puram, Chennai-600028	Member
13.	Dr. Subeer S. Majumdar Staff Scientist VI National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi	Member
14.	Prof. (Dr.) B. Suresh, President, Pharmacy Council of India (PCI) & Vice Chancellor, J.S.S. University, Sri Shivarathreshwara Nagar, Mysore - 570015 (Karnataka)	Member
15.	Representative from Wild Life Institute of India (WII)	Member
16.	Chairman, Animal Welfare Board of India (AWBI), Chennai	Member
17.	Director, National Institute of Animal Welfare (NIAW), Ballabgarh	Member
18.	Director(Animal Welfare), Ministry of Environment and Forests, New Delhi	Member Secretary

2. The Central Government hereby nominates Additional Secretary, incharge of Animal Welfare, Ministry of Environment and Forests and Member to be the Chairperson of the Committee as per sub-section (2) of section 15 of the said Act.

3. Joint Secretary (Animal welfare), Ministry of Environment and Forests and Member will be Vice Chairperson of the Committee.

4. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be three years from the date of its constitution.

3321 4/12-2

5. The Committee constituted earlier vide Gazette Notification No. S.O.32 (E) dated 10th January, 2003 amended subsequently vide Notification Numbers. S.O.599 (E) dated 26.05.2003; S.O.955 (E) dated 21.08.2003; S.O.69 (E) dated 15.01.2004; S.O.85(E) dated 25.01.2005; S.O.1491(E) dated 17.10.2005; S.O.933(E) dated 21.06.2006; S.O.1817(E) dated 19.10.2006; S.O.1328(E) dated 07.06.2010 and S.O.2778(E) dated 10.11.2010 stands dissolved from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 25/34/2010-AWD (Pt.)]

ANJANI KUMAR, Director (AW)

Note : The earlier notification constituting the Committee for the purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.32 (E) dated 10th January, 2003 and was subsequently amended vide Notification Numbers. S.O.599 (E) dated 26.05.2003; S.O.955(E) dated 21.08.2003; S.O.69(E) dated 15.01.2004; S.O.85(E) dated 25.01.2005; S.O.1491(E) dated 17.10.2005; S.O.933(E) dated 21.06.2006; S.O.1817(E) dated 19.10.2006; S.O.1328(E) dated 07.06.2010 and S.O.2778(E) dated 10.11.2010